

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाइमेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1854

दिनांक 23/08/22

प्रार्थीगण :-

- 1.जोगी पत्नि भंवराराम
 - 2.रामू पत्नि हनुमानराम
 - 3.राजो पत्नि सालूराम, जाति जाट
- निवासी बीजराड, तहसील चौहटन।

विप्रार्थीगण:-

- 1.इब्राहीम पुत्र मिरण फौत के का.मु. :
 - 1/1.जुसब 1/2.सुलेमान 1/3.अयुब 1/4.उमर
 - 1/5.ओसमान 1/6.एलियास पि.इब्राहीम, जाति मुसलमान, निवासी बीजराड
 - 2.हड़वंतसिंह पुत्र भंवरसिंह, जाति राजपूत
 - 3.मोटाराम पुत्र सोनाराम 4.शिवदान पुत्र किसनाराम
 - 5.हनुमानराम पुत्र वीरमाराम, जाति जाट
- निवासी बीजराड, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 80/2021

दिनांक : 22.08.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बीजराड के मौजा बीजराड के खेत खसरा सं. 750 रकबा 08.09 बीघा, खसरा सं. 1343/879 रकबा 49.15 बीघा, खसरा सं. 1345/879 रकबा 28.12 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 1855 to 1858

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण जोगी वगैरा
3. विप्रार्थीगण इब्राहीम के का.मु. वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी

चौहटन

दिनांक

23/08/22

(भाग II)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड चौहटन

चौहटन